न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.लक्ष्मणा पुत्र वीरमा		1.खंगारा पुत्र मोटा रेबारी
2.हरसन पुत्र वीरमा जातियान रेबारी निवासीगण पमाणा हाल, झैरोल तहसील सांचोर जिला जालोर		2.केहरा पुत्र वीरमा रेबारी निवासीगण पमाणा तहसील सांचोर जिला जालोर
		3.राज्य सरकार जरिये,तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील **15/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1- श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलान्टस

2- श्री निखिल दवे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

3- श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 02.09.2019

अपीलान्टस द्वारा यह अपील तहसीलदार सांचोर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम पमाणा के नामान्तरकरण संख्या 968 पर पारित किया गया है।

अपीलान्टस के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपीलांटस द्वारा अपील में यह अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 251''ए'' का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम पमाणा में खेत खसरा नंबर 868/1589 खसरा नबंर 873,खसरा नबर 874 जुमले रकबा 1.72 हेक्टर आये हुये है जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है।प्रार्थी के खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिये रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।प्रार्थी खसरा नबंर 863, 861 में से 4 मीटर चौडे रास्ते की निकटतम रूट से आवश्यकता है।अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है।तथा रास्ते हेतु सहमति से मामला नही बैठता है।उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा नोटिस भेजकर तामील करवाया गया।अपीलार्थी न्यायालय में हाजिर हुये एवं जबाब पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा नबंर 870, 867 में से नजदीक का रास्ता लगता है।हमारी खातेदारी में कोई रास्ता नही है।न्यायालय ने तहसीलदार सांचोर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई है।प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित कर खसरा नबंर 861 रकबा 0.09 हेक्टर व खसरा नबंर 863 रकबा 0.77 हेक्टर में से 0.10 हेक्टर भूमि रास्ते का आदेश दिया गया उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर में निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई है।राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 15.07.2016 को प्रकरण में स्थगन आदेश पारित कर राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश दिया था।उक्त प्रकरण न्यायालय में अभी विचाराधीन है तथा प्रकरण में स्थगन आदेश है।दिनांक 20.02.2018 को तहसीलदार सांचोर ने स्थगन आदेश होते हुये मौजा पमाणा का नामान्तरकरण खोलकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है जिसके खसरा नबंर 861/863 रकबा 0.09 हैक्टर व 0.10 हेक्टर का खोला गया है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 968 दिनांक 20.02.2018 को स्वीकृत किया

गया है उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाथीगण की यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है। तहसीलदार सांचोर के समक्ष प्रकरण में स्थगन आदेश होते हुये उक्त नामान्तरकरण गलत तरीके से खोला गया है किया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर में खंगारा जो पक्षकार था उसकी तामील भी न्यायालय में हो चुकी थी एवं उसकी ओर से वकील भी उपस्थित हो रहे है।स्थगन की पूर्णतया जानकारी थी। तथा तहसीलदार को स्थगन आदेश की प्रति होने के बाबजूद गलत तरीके से नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है, किया गया आदेश गलत होने से खारिज योग्य है।रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खंगारा ने एक अपील राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की थी उक्त अपील में हम अपीलार्थीगण को नोटिस भी नही भेजे गये थे तथा उक्त अपील दिनांक 06.03.2018 को खारिज की जा चुकी है जिसकी प्रगति उक्त अपील के साथ प्रस्तुत है।अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण भरने से पूर्व सभी पक्षकारान को नोटिस भेजकर विधिसम्मत कार्यवाही की जानी आवश्यक थी तथा प्रकरण में मौके की स्थिति मौके पर किसका कब्जा है उक्त मामलो पर मौके की जांच कर नामान्तरकरण भरना था परन्तु अपीलार्थीगण को बिना सूचित किये गलत नामान्तरकरण पारित किया गया है,किया गया आदेश खारिज योग्य है। तहसीलदार सांचोर ने स्थगन आदेश होते हुये नामान्तरकरण संख्या 919 जो उक्त नामान्तरकरण से पहले भरा गया है उसमें भी प्रकरण में स्थगन था, स्थगन होते हुये रहन का नामान्तरकरण गलत भरा गया है।न्यायालय ने स्थगन आदेश की परवाह किये बिना गलत तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है, किया गया आदेश खारिज योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय उपखंड अधिकारी सांचोर के आदेश की पालना में भरा है परन्तु राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के प्रकरण संख्या 36/2016 अनवान लक्ष्मणा बनाम खंगारा में स्थगन था जिसकी कापी न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाबजूद उनके द्वारा विवादित आराजी के संबंध में गलत नामान्तरकरण भरा गया है,की गई तमाम कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।न्यायालय को नामान्तरकरण खोलने से पूर्व अपीलार्थी से आवश्यक जांच कर नामान्तरकरण भरना था तथा म्यूटेशन कार्यवाही करने से पूर्व उसके ब्यान लिये जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करनी थी परन्तु अपीलार्थी को धोखे में रखकर गलत कार्यवाही की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियो ने भारी रिश्वत खाकर उक्त नामान्तरकरण गलत तरीके से स्थगन आदेश के बाबजूद खोला गया है।राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय तक उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है।अत:अपील अपीलार्थीगण पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.2018 नामान्तरकरण 968 को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि उपखंड अधिकारी सांचोर द्वारा प्रकरण संख्या 2/2016 अनवान खंगारा बनाम केहरा वगैराह में दिनांक 01.07.2016 को आदेश पारित कर खसरा नंबर 861 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नंबर 863 रकबा 0.77 हैक्टर में 0.10 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक रास्ता (सरकारी)घोषित करने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील पेश की जिसमे दिनांक 15. 07.2016 को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थति का स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी पटवारी हल्का पमाणा द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2016 की पालना में नामान्तरकरण भरा गया तथा तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 20.02.2018 को स्वीकृत किया गया।जबकि स्थगन के साथ ही अपील संख्या 36/2016 लक्ष्मणाराम बनाम खंगारा आज तक राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में विचाराधीन है। स्थगन होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए तहसीलदार सांचोर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 968 दिनांक 20.02.2018 स्वीकृत किया गया है।अत: नामान्तरकरण संख्या 968 दिनांक 20. 02.2018 को खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित वकील द्वारा तर्क दिया गया कि रेस्पोडेन्ट ने उपखंड अधिकारी सांचोर के न्यायालय में रास्ते हेतु अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था।जिसे उपखंड अधिकारी सांचोर द्वारा दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए मौजा पमाणा के खसरा नंबर 861 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नंबर 863 रकबा 0.77 हैक्टर में 0.10 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक रास्ता (सरकारी) घोषित किया गया।उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2016 को राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील पेश की गई।इस अपील संख्या 36/2016 में दिनांक 15.07.2016 को आदेश पारित हुआ कि उपखंड अधिकारी सांचोर के आदेश दिनांक 01.07.2016 मुकदमा संख्या 02/2016 में विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खगारा द्वारा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की गई।जो निगरानी संख्या 7822/2017 दिनांक 06.03. 2018 को निर्णित हुई।तहसीलदार सांचोर द्वारा उपखंड अधिकारी सांचोर तथा माननीय राजस्व मंडल के आदेश की पालना में दिनांक 20.02.2018 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।जो विधि सम्मत होने से निरस्त किये जाने योग्य नही है।अपीलांट द्वारा बहस में स्थगन आदेश की अवहेलना होना बताया है। इस विषय पर रेस्पोडेन्ट की ओर से निवेदन है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन जारी किया हुआ होने के बावजूद यह नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है।तो जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है।उसी न्यायालय में अपीलांार्थी को अवमानना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। क्योकि राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय के आदेश की यदि अवहेलना हुई है।तो उसे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी को ही है।अपीलार्थी स्थगन आदेश के विरूद्ध अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सीधे ही स्वीकृत हुए नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की है।जो सुनवाई योग्य नही होने से खारिज फरमाई जावे।अपीलार्थी द्वारा उपखंड अधिकारी सांचोर के प्रकरण संख्या 02/2016 निर्णय दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अभी तक विचाराधीन है।जिसमें नामान्तरकरण को set aside नही किया है। यदि अपील स्वीकार हो जाती है तो स्वत: शून्य हो जायेगा।अपीलार्थी द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना होना कथन किया गया है।परन्तु संबधित न्यायालय में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई है।जो विधि सम्मत नही होने से खारिज की फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया गया। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट की ओर से उपखंड अधिकारी सांचोर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने पर प्रकरण संख्या 02/2016 अनवान खगारा बनाम केहरा वगैराह में दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित किया गया।इसके विरूद्ध अपीलार्थी लक्ष्मणा, हरचन्द्र, पुत्रगण विरमा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में दिनांक 06.07.2016 को अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज हुई अपील संख्या 36/2016 में दिनांक 15.07.2016 को विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति को कायम रखने का आदेश जारी हुआ।आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर में रेस्पोडेन्ट खगारा पुत्र मोटा द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई।निगरानी टी.ए सख्या 7822/2017 दिनांक 06.03.2018 को निर्णित हुई। उभय पक्ष के कथनो अनुसार राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 36/2016 लक्ष्मणा बनाम खंगारा वर्तमान में विचाराधीन है।इस दौरान विवादित नामान्तरकरण पटवारी हल्का पमाणा द्वारा खोला जाने पर तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 20.02.2018 को स्वीकृत किया गया है।अपीलार्थी पक्ष ने मुख्य रूप से यही आपत्ति व्यक्त की है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2016 को स्थगन आदेश जारी जारी किया गया था। स्थगन

आदेश आज तक प्रभावी रहने एवं अपील के विचाराधीन होने के बावजूद भी तहसीलदार सांचोर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिससे स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है। चूकि अपील संख्या 36/2016 राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 15.07.2016 को स्थगन आदेश अपील संख्या 36/2016 में राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा जारी किया गया जिसकी पालना नही करते हुए अवहेलना कर नामान्तरकरण संख्या 968 दिनांक 20.02.2018 को स्वीकृत होना अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया गया है।अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.07.2016 की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो प्रस्तुत नही कर स्वीकृत हुये नामान्तरकण सख्या 968 दिनांक 20.02.2018 को खारिज करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।एक न्यायालय के निर्णय की पालना न होने से किसी अन्य न्यायालय में प्रकरण दायर करने से एकाधिक न्यायालय द्वारा उसी विषय वस्तु की सुनवाई होने से कानूनी पेचिदगिया उत्पन्न होगी।जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नही है।अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:41:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: